तारीख आदेश	आदेश या कार्यवाही न्यायाधीश के लघु हस्ताक्षर सहित	
15.07.2026	अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदीप धारीवाल उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहन मुजांल उपस्थित व अप्रार्थी सं. 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा उपस्थित। बहस उभयपक्ष वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना है। **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>** अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र वर्णित अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए यहीं तर्क दिये गये कि प्रार्थी को चक 5 एसजीआर की कुल 1.612 हैक्टेयर भूमि बंटवारे में विरासतन प्राप्त हुई थी। उसका एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी पत्नी भी अन्यत्र चली गयी। वह उसकी पौत्रियों को अकेला छोड़ गयी तब उसने और उसकी पत्नी मैना देवी ने उनका पालन पोषण कर उचित शिक्षा दिलवायी। जिसपर प्रार्थी को और उसकी पत्नी को अटूट विश्वास था। प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई भूमि को प्रार्थी उसकी पत्नी व अप्रार्थीगण को बराबर हिस्से में वसीयत करना चाहता था, परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के विश्वास का फायदा उठाकर वसीयत लिखवाने का कहकर दिनांक 16.01.2024 को उसे तहसील परिसर में ले जाकर दो–तीन खाली स्टांपों पर अगूंठा निशानी करवा ली। फिर दिनांक 29.01.2024 को पुनः कुछ कमी रह जाने का कहकर उसके भतीजे सुंदरपाल व अन्य व्यक्ति मक्खन सिंह से मिलकर छलपूर्वक प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से 4 बीघा भूमि का दानपत्र वसीयत का नाम लेकर पंजीकृत करवा लिया, जबकि प्रार्थी कभी भी उक्त भूमि का दान नहीं करना चाहता था। वह उसकी पत्नी मैना देवी और दोनों पौत्रियों को बराबर–बराबर हिस्सा देना चाहता था। विवादित कृषि भूमि	

अपर जिला न्यायाधीश सं.-2
हनुमानगढ़ (राज.)

का कोई कब्जा सौंपा नहीं गया है। प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी पक्ष के पास कोई धनराशि नहीं है कि वह दानपत्र पर लगनेवाले खर्च को वहन कर सके। छलपूर्वक उक्त दानपत्र करवाये जाने के कारण उक्त दानपत्र उसके अधिकारों के प्रति अवैध व शून्य बताकर विवादित कृषि भूमि के संबंध में उसका प्रथम दृष्टया मामला होना बताया।

जिसके समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त दानपत्र को अवैध घोषित करने के संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होने का समर्थन किया।

जिसके विरोध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए दिनांक 29.01.2024 को 4 बीघा भूमि का दानपत्र प्रार्थी और उसकी पत्नी के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वतंत्र सहमति, स्वेच्छा व बिना किसी दबाव के करवाना बताते हुए अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा उसकी मर्जी से किये गये विवाह से अप्रसन्न होकर दबाव में यह प्रकरण प्रस्तुत करना बताया। इसी प्रकार मौके पर उनका कब्जा होना बताया और प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होना बताया।

उभयपक्ष के तर्को, तथ्यों पर मनन करने से, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से प्रार्थी स्वयं को विरासतन प्राप्त हुई कृषि भूमि के बारे में उसकी पौत्रियों के पक्ष में किये गये दानपत्र दिनांक 29.01.2024 को उसके साथ छल कारित कर निष्पादित करवाये जाने के आधार पर चुनौती देकर आया है, जबकि अप्रार्थी सं. 1 के अनुसार ऐसा दानपत्र स्वेच्छया, स्वतंत्र सहमति से प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के द्वारा करवाया जाना बताया गया है, जबकि अप्रार्थी सं. 2 माया के द्वारा उक्त दानपत्र को निरस्त कर दिये जाने से उसे कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। दानपत्र स्वतंत्र सहमति या स्वेच्छा से करवाया गया था अथवा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ छल कारित करते हुए खाली स्टांपों पर अगूंठा निशानी करवाकर करवाया गया, उक्त प्रश्नों का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा

अपर जिला न्यायाधीश सं. 2
हनुमानगढ़ (राज.)

सकता है। मूल वाद में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की विरचना के बाद साक्ष्य लेखबद्ध कर ही इस बारे में कोई टिप्पणी की जा सकती है। चूंकि विवादित दानपत्र दिनांक 29.01.2024 को लेकर प्रार्थी एक सारवान प्रश्न न्यायालय के समक्ष प्रकट करने में उपरोक्त विवेचन के अनुसार सफल रहा है। इसलिए दानपत्र दिनांक 29.01.2024 वर्णित विवादित कृषि भूमि की वर्तमान रिकार्ड की स्थिति को संरक्षित व परिरक्षित करने के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व 3. अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण समय व सुविधा की दृष्टि से तथ्यों की पुनरावृति को रोकने के लिए एक साथ किया जा रहा है। चूंकि उपरोक्त विवेचन से दानपत्र दिनांक 29.01.2024 वर्णित विवादित कृषि भूमि की वर्तमान रिकार्ड की स्थिति को संरक्षित व परिरक्षित करने के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया है, ऐसे में यदि इस आशय की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है और इस दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त भूमि या उसके किसी भाग का बेचान किसी तृतीय पक्ष को किया जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य पक्षकारों को अधिक असुविधा कारित होगी और अपूरणीय क्षति कारित होने की भी संभावना है। ऐसे में उक्त दोनों बिन्दु भी दानपत्र वर्णित विवादित कृषि भूमि की वर्तमान रिकार्ड की स्थिति को संरक्षित व परिरक्षित करने के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के पक्ष में बनने पाये जाते है।

इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनने के कारण उसका प्रार्थना पत्र निम्नानुसार स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी हीराराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी पूजा वगैरा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला मूल वाद विवादित दानपत्र दिनांक 29.01.

अपर जिला न्यायाधीश सं.-2
हनुमानगढ़ (राज.)

	2024 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की वर्तमान रिकार्ड की स्थिति को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। अपर जिला न्यायाधीश सं. 02, हनुमानगढ़ अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 हनुमानगढ़ (राज.)	